

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था /2015

रायपुर, दिनांक

/2015


//कार्यालय -आदेश//

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कतिपय अधिकारी/कर्मचारी बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित रहते हैं और संबंधित शाखा के प्रभारी अधिकारी ऐसी अनुपस्थिति की सूचना स्थापना शाखा को या तो नहीं देते हैं अथवा अत्यधिक विलंब से देते हैं। यह अत्यन्त अनुचित है।

अतः आदेशानुसार समस्त शाखा प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाओं के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के बिना किसी सूचना के एक दिन से अधिक अपने कार्य से अनुपस्थित रहने की दशा में तदाशय की लिखित सूचना यथाशीघ्र अवर सचिव, स्थापना शाखा को आवश्यक रूप से दें। संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के कर्तव्य पर उपस्थिति की सूचना भी तत्समय दें।

सर्व संबंधित शाखा प्रभारी अधिकारी इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

आदेश से,



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 1074 /वि.स./स्था./2015

रायपुर, दिनांक 02-7-2015

प्रतिलिपि

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सहायक को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
02. समस्त अधिकारी छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर पालनार्थ।
- ✓03. सर्वर कक्ष।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा